दिनांकः 11.04.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना सदर बाजार, सहारनपुर पुलिस द्वारा हत्या की घटना का खुलासा करते हुये 01 हत्यारोपी अभियुक्त गिरफ्तार, निशादेही पर घटना में प्रयुक्त 01 तमंचा व 01 जिन्दा कारतूस .32 बोर बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 31.3.2024 को वादी श्री सतीश कुमार पुत्र स्व0 शेर सिंह निवासी रामनगर पठानपुरा, दुर्गामन्दिर वाली गली थाना सदर बाजार सहारनपुर द्वारा लिखित तहरीर के आधार पर थाना सदर बाजार पर मु0अ0सं0 193/24 धारा 302 भादवि बनाम सचिन पुत्र सुरेन्द्र व अन्य साथी के विरूद्ध वादी के पुत्र नमन की गोली मारकर हत्या करने के सम्बन्ध मे पंजीकृत कराया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेकर अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु दिशा-निर्देश दिए गये। जिसके अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री संतोष कुमार त्यागी थाना सदर बाजार के कुशल नेत्तृव में थाना सदर बाजार पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर दिनांक 11.4.2024 को अभियुकित **सचिन उर्फ छोटू पुत्र सुरेन्द्र नि0 म0न0 2/1004 मौहल्ला रामनगर पठानपुरा थाना सदर बाजार सहारनपुर** को काशीराम बस अड्डे दिल्ली रोड से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त की निशानदेही पर ढमोला नदी सपना पुल के बराबर में पुराने पुल के नीचे घटना के बाद छिपाया हुआ घटना मे प्रयुक्त 01 तमंचा .32 बोर व 01 जिन्दा कारतूस .32 बोर बरामद हुआ। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट की वृद्धि की गयी। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरणः- गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा पूछताछ करने पर बताया गया कि मेरे पड़ोस मे मेरी ही जाति के नमन व अमन पुत्रगण सतीश कुमार व उसके चार- पाँच चचेरे तहेरे भाई है। ये लोग मेरी महिला मित्र को लेकर मुझपर छिंटाकशी करते थे तथा करीब छः महीने पहले इन लोगो ने मेरी पिटाई भी की थी। मैंने तभी इन पाँचो भाईयो से बदला लेने की ठान ली। दिनांक 31.03.2024 को ये सभी भाई गली में टहल रहे थे तभी मै मौका पाकर गली में चुपचाप खड़ा हो गया और फोन का बहाना बनाकर फोन देखने लगा तभी नमन मेरी तरफ आ रहा था तो मैने तमंचा निकाला और जैसे ही मैने नमन पर तमंचा ताना तो नमन तुरन्त पीछे मुड़कर भागने लगा तभी मैने पीछे से नमन को गोली मार दी जो उसकी पीठ में जा लगी और वह वही गिर पड़ा। तभी मैं वहा से भाग गया तथा ढमौला नदी सपना पुल से बराबर पुराने पुल के नीचे तमंचा व कारतूस छिपा दिया तथा पुलिस से बचने के लिए हरिद्वार चला गया आज मैं अपने वकील के पास आया था तभी पुलिस ने मुझे पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

सचिन उर्फ छोटू पुत्र सुरेन्द्र नि. म0न0 2/1004 मौहल्ला रामनगर पठानपुरा थाना सदर बाजार सहारनपुर।

बरामदगी का विवरणः-

- 01 तमंचा .32 बोर
- 01 जिन्दा कारतूस .32 बोर

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-</u>

1. निरी0 संतोष कुमार त्यागी थाना सदर बाजार सहारनपुर।
2. उ0नि0धीरज सिह थाना सदर बाजार सहारनपुर
3. है0का0 556 नरेश थाना सदर बाजार सहारनपुर
4. का01565 विनय थाना सदर बाजार सहारनपुर

दिनांक: **11.04.2024**

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना बेहट, सहारनपुर पुलिस द्वारा फर्जी तरीके से निजी वाहन पर SDM लिखकर छल करने की नीयत से घूम रहे 01 अभियुक्त को मय गाडी के किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत जनपद में अपराध नियंत्रण हेतु लगातार संदिग्ध व्यक्ति/वस्तु/वाहन चैकिंग अभियान चलाया जा रहा है जिसके अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक थाना बेहट श्री योगेश शर्मा के कुशल नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर थाना क्षेत्र में अपने निजी वाहन पर फर्जी तरीके से धोखा देकर छल करने की नीयत से गाडी के आगे व पीछे शीशे पर SDM व गाडी के ऊपर उत्तर प्रदेश सरकार लिखकर घूम रहे अभियुक्त **सोमपाल पुत्र स्वः किशोरीलाल निवासी दिल्ली रोड रोहित विहार थाना सदर बाजार जिला सहारनपुर** को दिनांक 10.04.2024 को गन्देवड तिराहा से गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्त से एक गाडी बुलेरो रजि0 UP11-BC-6743 जिस पर गाडी के आगे व पीछे शिशे पर SDM व गाडी के ऊपर उत्तर प्रदेश सरकार लिखा है बिना कागजात के बरामद हुई जिसके सम्बन्ध मे गाडी को अन्तर्गत धारा 207 एम0 वी0 एक्ट मे सीज कर थाना बेहट पर मु0अ0सं0-128/24 धारा 420/484 भादवि पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

विवरण पूछताछः-

पूछताछ करने पर अभियुक्त द्वारा बताया कि करीब 4 से 5 महिने पहले मेरी गाडी बुलेरो एसडीएम सदर के यहा किराये पर लगी थी जिस वजह से मैने अपनी गाडी पर आगे व पीछे SDM व ऊपर उत्तर प्रदेश सरकार लिखाया था । एसडीएम सदर के जनवरी महिने मे तबादला हो जाने के कारण मेरी गाडी वहा से हट गयी थी लेकिन मैने लोगो में अपना रोब बनाने के लिए अपनी गाडी पर लिखा हुआ SDM व उत्तर प्रदेश सरकार नही हटवाया था। छल करने की नीयत से गाडी बुलेरो नं0 UP11-BC-6743 पर SDM व उत्तर प्रदेश सरकार लगाकर घूमता था। आज भी मै थाना बेहट क्षेत्र में घूम रहा था तभी चैकिंग के दौरान पुलिस ने मुझे पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

सोमपाल पुत्र स्वः किशोरीलाल निवासी दिल्ली रोड रोहित विहार थाना सदर बाजार जिला सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टीः-

1. प्र0नि0 श्री योगेश शर्मा प्रभारी निरीक्षक कोतवाली बेहट जिला सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री पवन कुमार थाना कोतवाली बेहट जनपद सहारनपुर
3. है0का0 1049 प्रमोद कुमार थाना कोतवाली बेहट जनपद सहारनपुर

दिनांकः 11.04.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना देवबन्द पुलिस द्वारा जान से मारने की नीयत से हमला करने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार, घटना मे प्रयुक्त चारपाई का 01 लोहे का पावा व खून लगी 01 ईंट बरामद की गयी

अवगत कराना है कि दिनांक 09/04/2024 को वादिया सईदा पत्नी नसीम नि0 मो0 मोरी तेलियान कस्बा व थाना देवबन्द सहारनपुर ने थाने पर सूचना दी कि अनीस उर्फ चोना पुत्र यासीन निवासी मौ0 पठानपुरा बेरियान कस्बा व थाना देवबन्द सहारनपुर के द्वारा वादिया की पुत्री शाहीन के साथ जान से मारने की नियत से सरिया व डंडो से मारपीट व गाली गलोच की गयी है जिसके आधार पर थाना देवबंद पर मु0अ0सं0-172/24 धारा 307/504 भादवि बनाम अनीस उर्फ चोना पंजीकृत किया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का संज्ञान लेते हुए तत्काल अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु दिशा-निर्देश दिए गये जिसके क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक थाना देवबंद के कुशल नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त मुकदमे के वांछित अभियुक्त **अनीस उर्फ चोना पुत्र यासीन निवासी मौ0 पठानपुरा बेरियान कस्बा व थाना देवबन्द सहारनपुर** को मुखबिर की सूचना पर मंगलौर अड्डे से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मैं मूल रूप से मौ0 पठानपुरा बेरियान कस्बा व थाना देवबन्द जिला सहारनपुर का रहने वाला हूँ वर्तमान में ग्राम हासिमपुरा में आबिद के मकान में मैं व मेरा भाई फिरोज अलग-2 कमरो में मय परिवार के किराये पर रहते है मेरा भाई फिरोज ई-रिक्शा चलाता है और मैं भी पैरो वाला रेहडा चला कर मजदूरी करता हूँ हम दोनो भाई अक्सर सुबह निकलकर शाम को ही काम से वापस आते है। मेरी पत्नी का फूफा बाबू अक्सर मेरे घर आता जाता रहता है। जिस कारण मुझे अपनी पत्नी पर शक होने लगा था एक दिन जब मैने उसके फूफा के आने के बारे में पूछा तो वह सन्तोषजनक जवाब नही दे सकी । मुझे गुस्सा आ गया और मैने तहस में आकर पास में ही पडा चारपाई का लोहे का पाया उसके सिर पर जान से मारने की नियत से मारा और मुँह हाथ पर लोहे के पाया व ईंट से पिटाई की थी । जिससे वह लहूलुहान हो गयी । उसके चिल्लाने पर पडोस के लोग आने शुरू हो गये तो मै मौके से भाग गया । और रात में छुपता छुपाता घूमता रहा। आज मैं कही बाहर जाकर मजदूरी करने के लिये मंगलौर अड्डे पर खडा था कि पुलिस ने मुझे पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः–

अनीस उर्फ चोना पुत्र यासीन निवासी मौ0 पठानपुरा बेरियान कस्बा व थाना देवबन्द सहारनपुर

बरामदगी का विवरणः-

- 01 लोहे का पावा
- 01 ईट खून आलूदा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 संजय सिंह थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।

2. है0का0 संदीप भाटी थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।
3. का0 राहुल थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।

दिनांक- 11.04.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना फतेहपुर, सहारनपुर पुलिस द्वारा लूट की घटना का मात्र 24 घण्टे में सफल अनावरण करते हुए 03 शातिर अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, कब्जे से लूट के 14,400 रुपये व घटना मे प्रयुक्त मोटर साईकिल बरामद।

अवगत कराना है कि दिनांक 10.04.2024 को वादी संजीव कुमार पुत्र श्री जयपाल सिंह निवासी ग्राम मुजफ्फराबाद थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर ने एक लिखित प्रार्थना पत्र बाबत तीन अज्ञात व्यक्तियों द्वारा बिना नम्बर प्लेट की स्पलेण्डर मोटर साईकिल को सांई भारत गैस के सिलेण्डर की डिलीवरी वैन नम्बर UP11BT-8320 के चालक फतेह सिंह पुत्र सुशील कुमार निवासी मुजफ्फ़राबाद थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर से गैस की डिलीवरी के लगभग 35000/- रुपये लूट लेने के सम्बन्ध में दाखील की। तहरीर के आधार पर थाना फतेहपुर पर मु0अ0सं0-75/24 धारा 392 भादवि बनाम 03 अज्ञात व्यक्ति पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी एवं बरामदगी के निर्देश दिए, जिसके अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी श्री धर्मेन्द्र कुमार के कुशल नेतृत्व मे थाना फतेहपुर पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 11.04.2024 को मुखबिर की सूचना पर अभियुक्तगण **1. शिवा राणा पुत्र करेशन सिंह निवासी ग्राम बढेडी घोघू थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर 2. विजय कुमार पुत्र कुलदीप निवासी ग्राम बढेडी घोघू थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर व 3. राहुल पुत्र ओमवीर सिंह निवासी ग्राम लखनौती थाना बेहट जिला सहारनपुर** को ग्राम बढेडी घोघू से रामखेड़ी मार्ग पर स्थित शिवा राणा के आम के बाग में बनी झोपड़ी के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से लूट के 14,400 रुपये व पीडित का आधार कार्ड व घटना मे प्रयुक्त मोटर साईकिल को बरामद किया गया। बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा-411 भादवि की वृद्धि की गयी। अभियुक्तगण के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण द्वारा पूछताछ करने पर बताया गया कि हमने दिनांक 08.04.2024 को बरौली पुल के पास शाम के समय मुजफ्फराबाद की गैस एजेन्सी की वैन के चालक से रूपये लूटे थे व चालक का आधार कार्ड भी पैसो के साथ था। हमसे बरामद रूपये उसी घटना के रूपये है बाकी हमने आपस में बांटकर खर्च कर दिये है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पताः-

1. शिवा राणा पुत्र करेशन सिंह नि0 ग्राम बढेडी घोघू थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर
2. विजय कुमार पुत्र कुलदीप नि0 ग्राम बढेडी घोघू थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर
3. राहुल पुत्र ओमवीर सिंह नि0 ग्राम लखनौती थाना बेहट जिला सहारनपुर

अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहासः-

1. विजय कुमार पुत्र कुलदीप नि0 ग्राम बढेडी घोघू थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर

(I) मु0अ0सं0 303/19 धारा 366 भादवि थाना बड़गांव सहारनपुर।

2. शिवा राणा पुत्र करेशन सिंह नि0 ग्राम बढेडी घोघू थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर

(I) मु0अ0सं0 223/18 धारा 3(1)(घ(, 3(2)(va) एससी एसटी एक्ट व 323, 325, 504 भादवि थाना फतहेपुर सहारनपुर।

(II) मु0अ0सं0 57/22 धारा 398, 401 भादवि थाना बेहट सहारनपुर।

(III) मु0अ0सं0 60/22 धारा 4/25 आयुध अधि0 थाना बेहट सहारनपुर।

बरामदगी का विवरणः-

- 14,400/- रूपये नगद
- स्पलैन्डर मोटर साईकिल रजिस्ट्रेशन नंम्बर DL7SCQ-5674

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 श्री कृष्ण कुमार थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर
2. उ0नि0 सोनू राणा थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर
3. है0का0 961 रोहित राणा थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर
4. है0का0 24 सुनील थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर
5. है0का0 796 प्रदीप कुमार थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर
6. है0का0 307 प्रदीप कुमार थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांकः 11.04.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नकुड़, पुलिस द्वारा 01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से 05 किलो डोडा चूर्ण बरामद।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत जनपद में अपराध नियंत्रण ,मादक पदार्थो की तस्करी की रोकथाम व इसमें संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एंव क्षेत्राधिकारी नकुड के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक नकुड़ के कुशल नेतृत्व मे थाना नकुड़ पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर दिनांक 10.04.2024 को चैकिंग के दौरान 01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त **दाऊद पुत्र उमरहसन निवासी ग्राम घाटमपुर थाना नकुड जिला सहारनपुर** को ग्राम शेरमऊ रोड से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से **05 किलो डोडा चूर्ण** बरामद किया गया। बरामदगी / गिरफ्तारी के आधार पर अभियुक्त दाऊद उपरोक्त के विरूद्ध थाना नकुड़ पर **मु0अ0सं0 112/24 धारा 8/15 एन0डी0पी0एस0 एक्ट** पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्त दाऊद उपरोक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि यह डोडा मैने कुछ दिन पहले ग्राम घाटमपुर में एक व्यक्ति से खरीदा था उसका नाम पता मुझे नही मालूम। आज इसे अच्छे दामो में बेचने के लिए जा रहा था कि पुलिस टीम द्वारा मुझे पकड़ लिया गया।

अभियुक्त का नाम व पताः-

दाऊद पुत्र उमरहसन निवासी ग्राम घाटमपुर थाना नकुड जिला सहारनपुर।

अभियुक्त दाऊद उपरोक्त का आपराधिक इतिहास

- मु0अ0सं0 393/20 धारा 3/5ए/8 सीएस एक्ट चालानी थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण –

05 किलो डोडा चूर्ण

अभियुक्त को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1 प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र गौतम थाना नकुड जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री नरेन्द्र भडाना थाना नकुड जनपद सहारनपुर।
3. का0 497 गौरव थाना नकुड जनपद सहारनपुर।
4. का0 2122 लोकेश थाना नकुड जनपद सहारनपुर।
5. का02555 राहुल कुमार थाना नकुड जनपद सहारनपुर।
6. का0 81 राहुल राणा थाना नकुड जनपद सहारनपुर।

दिनांक: 11.04.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर ,उत्तर प्रदेश

थाना साइबर क्राइम, सहारनपुर पुलिस द्वारा साइबर ठगी के शिकार हुए पीडित के कराये गये 9,94,713/- रूपये वापस

अवगत कराना है कि वादी श्री हिमान्शू अग्रवाल पुत्र राजेन्द्र अग्रवाल नि० बी०पी० कम्पाउन्ड, बोमनजी रोड, वाना कोतवाली नगर, जनपद सहारनपुर द्वारा थाना साइबर क्राइम, सहारनपुर पर उपस्थित आकर एक लिखित तहरीर दी कि दिनांक 29.07.2023 को जालसाज द्वारा ठगी करने के आशय से ट्रेडिंग के नाम पर धन दोगुना करने का लालच देकर ओटीपी प्राप्त कर वादी के 9,94,713/- रू0 धोखा घड़ी से निकाल लिये गये थे। जिसके सम्बन्ध में थाना साइबर क्राइम, जनपद सहारनपुर पर मु0अ0सं0 07/23 अन्तर्गत धारा 420 भादवि व 66डी आईटी एक्ट पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का संज्ञान लेते हुए पीड़ित की धोखाधड़ी से गयी धनराशि वापस कराने हेतु दिशा-निर्देश दिए, जिसके अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं पुलिस उपाधीक्षक साइबर क्राइम, सहारनपुर के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक थाना साइबर क्राइम श्री पंकज त्रिपाठी के कुशल नेतृत्व में थाना साइबर क्राइम टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए वादी के 9,94,713/- रू0 जिनकों जालसाजों ने ट्रेडिंग एकाउन्ट के खाते में स्थानान्तरित कर दिया गया था। साइबर क्राइम टीम द्वारा उपरोक्त धनराशि को धारा 102 सीआरपीसी के अन्तर्गत तत्काल प्रभाव से लीन लगा दिया गया था।

वादी द्वारा उपरोक्त लीन धनराशि रू0 9,94,713/- को क्लेम करने के लिए माननीय जनपद न्यायालय के समक्ष याचिका योजित की गयी। जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा बाद परीक्षण योजित याचिका उपरान्त 9,94,713/- रू0 को वादी हित में RBL Bank Malad west, Mumbai, Maharashtra को सशर्त रिलीज करने हेतु धारा 457 सीआरपीसी के अन्तर्गत आदेश निर्गत कर दिये गये हैं।

धनराशि का विवरणः-

- 9,94,713/- रू०

अनावरण करने वाली पुलिस टीमः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री पंकज त्रिपाठी थाना साइबर क्राइम, जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 मुबारिक हसन थाना साइबर क्राइम, जनपद सहारनपुर
3. क०ऑपरेटर गौरव तोमर थाना साइबर क्राइम, जनपद सहारनपुर
4. है0का0 712 निशान्त तोमर थाना साइबर क्राइम, जनपद सहारनपुर
5. का0 99 अरूण कुमार थाना साइबर क्राइम, जनपद सहारनपुर

CAUTION- किसी भी अन्जान व्यक्ति के साथ ओटीपी शेयर न करे, जालसाजो से सावधान रहे एवं किसी भी प्रकार का साइबर फ्राड होने पर साइबर हेल्प लाईन नम्बर 1930 या WWW.CYBERCRIME.GOV.IN पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज कराये।